तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अरूण माली बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर.)** सू.अ. अपील संख्या 247/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2024	अपीलार्थी अरूण माली निवासी मालियों का बास, फकीरों का तकिया, नयापुरा, फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 25.08.2023 को (1) सवाई उर्फ सयीराम अवैध शराब का ढाबा लगाकर शराब बेचता है यह ढाबा वैध है या अवैध की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओ से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–(शहर) प्रथम, जोधपुर) से अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 1742 दिनांक 10.1[illegible] 1293 दिनांक 22.11.2023 के जरिये प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:58 IST
Reason: SelfAttested